मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 (चैत्र 2, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन सिंह, राधेलाल बघेल, मनीराम धाकड़, सदस्य, शिवपुरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित न किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, प्रदेश में फसल बीमा योजना की चयनित सूची में अनियमितता होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य, ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), रत्नेश सॉलोमन, आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के नाम पर राशि वितरण में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 1 से 26वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ,

(क) मंदसौर नगर के वार्ड क्रमांक-12 प्रेम कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) भोपाल नगर के त्रिलंगा शाहपुरा की शराब एवं मीट की दुकान को अन्यत्र हटाये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) नगर पालिका क्षेत्र झिर की बगिया स्थित शासकीय भूमि के नाले पर से अतिक्रमण हटाये जाने,

(ख) मुख्यालय के आंतरिक मार्ग को बनाये जाने,

(ग) मुख्यालय से रिवरिया नाका तक फोर लाईन मार्ग बनाये जाने, तथा

(घ) मुख्यालय में नवीन कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) तहसील लहार के ग्राम मछण्ड में कॉलेज खोले जाने,
(ख) तहसील लहार के ग्राम बिरखड़ी में इण्टर कॉलेज खोले जाने,
(ग) मुरार ग्वालियर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(घ) सेवढ़ा से दतिया मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा
(ङ) मौ से गोहद तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) तहसील बहोरीबंद में एम.पी.डब्ल्यू.एस आर. योजना के अन्तर्गत जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने,
(ख) ग्राम-कनकी, तिलगवां, मुरावल एवं बांधा आदि ग्रामों के लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाये जाने,
(ग) ग्राम भैंसागढ़ जंगली नाले पर स्टापडेम निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम-ढुढरी एवं खरखरी में बिजली प्रदाय किये जाने,
(ङ) ग्राम-अमरगढ़ में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(च) ग्राम-देवगांव, सिमरा एवं मुरपाद आदि ग्रामों में गरीबी रेखा कार्ड बनाये जाने,
(छ) ग्राम-हथकुरी में शासकीय हाई स्कूल खोले जाने,
(ज) ग्राम सिमरा में मिडिल स्कूल खोले जाने,
(झ) ग्राम देवगांव में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(ञ) ग्राम पटोहा के शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ट) ग्राम तिलगवां माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -
(क) ग्राम-भीकमपुर में 33/11 के.व्ही.एम. सब स्टेशन निर्माण किये जाने,
(ख) नागदा में उर्दू माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम सिमरोल में ग्राम स्वजल धारा योजना लागू किये जाने,
(घ) ग्राम डबरी की प्राथमिक शाला को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम खमरिया में बड़ी पानी की टंकी निर्माण किये जाने,
(च) खाचरोद की उर्दू प्राथमिक विद्यालय को उर्दू माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा
(छ) ग्राम रामातलाई में 33/11 के.व्ही.एम. सब स्टेशन निर्माण किये जाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम निचरौली चौराहा से ग्राम बहादुरपुर तक सड़क बनाये जाने,

(7) सुश्री मीना सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के मानपुर नगर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने, एवं

(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भोपाल शहर के कोलार स्थित दानिश गृह निर्माण समिति के आवास क्रमांक डी.के. 4/206 से डी.के. 4/223 तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2010